अध्याय XV : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

15.1 राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन के निर्माण में असामान्य विलंब

राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए कार्यालय भवन, 2001 में भूमि अधिग्रहित करने के बावजूद भी नहीं बनाया जा सका था। विलंब का कारण मुख्यतः दोषयुक्त योजना थी। परिणामस्वरूप, निर्माण गतिविधियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को जारी की गयी ₹ 1.47 करोड़ की धनराशि मार्च 2004 से अवरूद्ध रही। काफी समय और अधिक व्यय के बावजूद, परियोजना अभी तक प्रारंभिक चरण में ही थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) वर्तमान समय में एक किराए के भवन में अवस्थित है। इस भवन का वार्षिक किराया ₹ 50 लाख है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने रा.म.आ. तथा राष्ट्रीय महिला कोष के लिए एक संयुक्त भवन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए रा.म.आ. को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया (अक्तूबर 1995) था। प्रस्तावित निर्माण द्वारा रा.म.आ. को एक स्वतंत्र तथा विशाल भवन उपलब्ध कराना था और इसके द्वारा मौजूदा किराये के भवन के किराये की बचत करना भी था।

रा.म.आ. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से जसोला सांस्थानिक क्षेत्र में 3080 वर्ग मीटर भूमि ₹ 37.48 लाख की कीमत पर अधिग्रहित की थी (जून 2001)। रा.म.आ. ने आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) को परियोजना हेतु वास्तु संबंधी परामर्श प्रदान करने के लिए नियुक्त किया (अगस्त 2001)। हुडको द्वारा तैयार वास्तु संबंधी आरेखों के आधार पर, रा.म.आ. ने के.लो.नि.वि. से प्रारंभिक प्राक्कलन बनाने का अनुरोध किया (जून 2003)। के.लो.नि.वि. द्वारा प्राक्कलनों को अक्तूबर 2003 में प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने परियोजना हेतु ₹ 6.09 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन किया (मार्च 2004) और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1.80 करोड़ जारी किए । रा.म.आ. ने के.लो.नि.वि. को मार्च 2004 में परियोजना के निष्पादन हेतु ₹ 1.80 करोड़ जारी किए। आगे, स्थानीय निकायों द्वारा आरेखों की संस्वीकृति के पश्चात 24 माह की अवधि में कार्य को पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने निर्माण गतिविधियों में असामान्य विलंब पाये जिसे नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

अवधि	विवरण
सितम्बर 2004	हुडको ने भवन की रूपरेखाएं तैयार की और उन्हें दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया।

अवधि	विवरण
दिसम्बर 2004 तथा फरवरी 2005	दि.वि.प्रा. ने आरेखों पर कुछ अभ्युक्तियां की जिनके उत्तर हुडको द्वारा दिये गये थे।
मार्च 2006	मंत्रालय ने रा.म.आ. को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (रा.बा.अ.सं.आ.) को आबंटित स्थल पर समायोजित करने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया।
जुलाई 2007	हुडको ने संशोधित योजना बनायी। इसे रा.म.आ. द्वारा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अप्रैल 2008	रा.म.आ. ने मंत्रालय से विभिन्न कार्यालयों को समायोजित करने के लिए एक समग्र योजना बनाने के लिए दि.वि.प्रा., हुडको तथा के.लो.नि.वि. के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया।
मई 2008	मंत्रालय ने रा.म.आ. को रा.बा.अ.सं.आ. के लिए स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखने का निर्देश दिया।
अगस्त 2009	के.लो.नि.वि. ने रा.म.आ. को सूचित किया कि भूखंड की चार दीवारी का निर्माण हो गया है।
जनवरी 2010	डेढ़ साल व्यतीत होने के बाद, मंत्रालय ने रा.म.आ. को मई 2008 में लिये गये निर्णय पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
मार्च 2010	मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण तथा राष्ट्रीय महिला कोष ने अपने स्थान की आवश्यकता को प्रस्तुत किया।
जुलाई 2010	मंत्रालय ने निर्णय लिया कि तल क्षेत्र अनुपात की दृष्टि से, भूखंड केवल रा.म.आ. की आवश्यकताओं को ही समायोजित कर सकता है और केवल रा.म.आ. के उपयोग हेतु ही भवन के निर्माण का निर्णय लिया।
जून 2011	रा.म.आ. ने स्थानीय निकायों से अनुमति एवं दि.वि.प्रा. से भवन की स्थल योजना के अनुमोदन के साथ वास्तु संबंधी आरेखों के संपूर्ण कार्य को के.लो.नि.वि. को पुनः सौंप दिया।
नवम्बर 2011	मंत्रालय ने रा.म.आ. से रा.भा.नि.नि. को एक वैकल्पिक कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए कहा।

के.लो.नि.वि. (₹ 18.00 करोड़) तथा रा.भा.नि.नि. (₹ 16.51 करोड़) द्वारा लागत प्राक्कलनों के आधार पर, मंत्रालय ने अंततः रा.भा.नि.नि. के माध्यम से ₹ 16.51 करोड़ की संशोधित लागत पर इस कार्यालय भवन के निर्माण की सैद्धांतिक रूप में संस्वीकृति प्रदान की (जून 2012)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.म.आ. द्वारा अन्य कार्यालयों को समायोजित करने हेतु भवन निर्माण के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने के विचार, जिसे पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था, के कारण जमीन के अधिग्रहण के पश्चात भी व्यापक विलंब हुआ था। प्रस्तावित स्थल पर संगठनों की संख्या तय करने में मंत्रालय असमर्थ था। निर्णय लेने की प्रक्रिया की तदर्थ भाव बोधता अंततः उभरने वाले अंतिम दृश्य में सुस्पष्ट थी। यह रा.म.आ. को ही भवन उपलब्ध कराने वाले निर्माण के प्रारंभिक दृश्य के समान था। इस अनावश्यक विलंब ने 2006 से 2010 तक के समूचे विकास को निष्फल बना दिया। यह असामान्य विलंब ₹ 9.44 करोड़[1] के उल्लेखनीय लागत वृद्धि तथा के.लो.नि.वि. के पास मार्च 2004 से ₹ 1.47 करोड़ के अवरोध का कारण बना। परिणामस्वरूप, भूमि की अधिप्राप्ति, चारदीवारी के निर्माण तथा हुडको को परामर्श शुल्क की अदायगी पर किया गया ₹ 79 लाख[2] का कुल व्यय भी निष्फल हो गया।

निर्माण में परिहार्य विलंब न केवल पर्याप्त समय एवं लागत वृद्धि में परिणत हुआ अपितु यह रा.म.आ. द्वारा अक्टूबर 2006, अर्थात वह तिथि जिस पर मार्च 2004 में आयोजित स्थायी वित्त समिति बैठक के अनुसार परियोजना को पूर्ण हो जाना चाहिए था, से ₹ 3.92 करोड़ के किराया राशि के परिहार्य भुगतान का कारण भी बना। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण की तिथि से 12 वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद, परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में ही थी।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (जून 2013) कि परियोजना में असामान्य विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त यह बताया कि रा.भ.नि.नि. ने तभी से स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली थी तथा यह अपेक्षा की जाती है कि कार्य को आगे बिना किसी समय अथवा लागत वृद्धि के पूरा कर लिया जाएगा।

---

[1] के.लो.नि.वि. के जनवरी 2004 में प्रस्तुत प्राक्कलनों के अनुसार 3299 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल पर ₹ 9.44 करोड़ की लागत वृद्धि की गणना की गई है।

[2] ₹ 0.37 करोड़ भूमि अधिप्राप्ति पर, ₹0.33 करोड़ चारदीवारी के निर्माण पर तथा ₹ 0.09 करोड़ हुडको को अदा परामर्श शुल्क पर।